संख्याः /XII-3/2025/83(04)/2023(ई–58988)

प्रेषक,

मायावती ढकरियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, स्तर–1,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

ग्रामीण निर्माण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः सितम्बर, 2025

विषयः– 'मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 28 नई ग्रामीण सड़क निर्माण योजनाओं की सर्वेक्षण एवं डी0पी0आर0 गठन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1165/निर्माण–8/बजट/2025–26, दिनांक 20.08.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना' के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 28 नई ग्रामीण सड़क योजनाओं के लिए विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने एवं सर्वेक्षण हेतु विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित, संलग्नक के कॉलम 2 में उल्लिखित योजनावार कॉलम 5 में उल्लिखित विवरणवार विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा पायी गई औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 54.54 लाख (**रूपये चौवन लाख चौवन हजार मात्र**) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये आपके निवर्तन पर रखने/नियमानुसार निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–847/XXVII(1)/2016 दि0 26 जुलाई, 2016 एवं शासनादेश सं0–1/287566/E–79713/09(150)2019 /XXVII(1)/2025, दिनांक 31 मार्च, 2025 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदो में व्यय किया जाय।

(ii) किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(iii) समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किस्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी। वित्त विभाग के शासनादेश सं0–1/287566/E–79713/09(150)2019 /XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 में उल्लिखित प्रावधानुसार रू0 1.00 करोड़ से ऊपर के नये कार्यो को पी0 एम0 गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड़ किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये यूनिक आई0डी0 का विवरण उपलब्ध कराया जाय एवं राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या–1003/687/मार्ग0सि0/रा0यो0आ0/2021, दिनांक 30.06.2025 के सम्बन्ध में भी विभाग द्वारा स्वयं के स्तर से सुनिश्चित हो लिया जायेगा।

(iii) 01 किमी0 से कम लम्बाई वाली योजनाओं के विस्तृत आंगणनों के गठन पर मत स्थिर कर समुचित परीक्षण किया जाय। निर्गत की जा रही स्वीकृति पर अग्रेत्तर कार्यवाही से पूर्व विभाग द्वारा यह भी भलिभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्तावित कार्य हेतु किसी प्रकार का समरेखण विवाद, वन भूमि हस्तान्तरण, भूमि विवाद, अन्य कोई मुवाएजा देयता, इत्यादि नहीं हो। यथा–आवश्यकता पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर ली गयी हो। इसके अतिरिक्त राज्य संसाधनों पर व्यय भारित करने से पूर्व विभाग नाबार्ड सहित अन्य संस्थाओं यथा भारत सरकार की योजना, ग्राम पंचायतों के वित्तीय स्रोत्र, कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी इत्यादि अन्य

वित्तीय पोषणीय विकल्पों पर भी वित्तीय पोषण प्राप्त किये जाने हेतु समुचित विचार किया जायेगा।
(iv) निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
(v) बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
(vi) आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि सम्बन्धित शाखाओं को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
(vii) आहरण वितरण अधिकारीं तथा कोषाधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0–प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
(viii) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केवल उन कार्यो में ही व्यय किया जाय, जिन योजनाओं हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। योजनाओं के डी0पी0आर0/सर्वेक्षण हेतु मार्गवार अवमुक्त धनराशि को उनके मूल लागत/विस्तृत आगणन में समायोजित किया जायेगा। सभी कार्यो के औचित्य, आवश्यकता एवं उनके डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित हो लिया जायेगा। यदि कोई तकनीकी/विधिक औपचारिकताये है, तो उन्हें भी विभाग द्वारा स्वयं के स्तर से पूर्ण किया जायेगा।
(ix) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है।आप भी अपने स्तर से अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।
(x) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–1638/ XXX–1–12(25)2011, दि0–08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अद्यतन किया जायेगा।
(xi) शासनादेश संख्या–757/XII–3/2023/01(01)2023, दिनांक 28.12.2023, शासनादेश संख्या–130 /XII–3/2024/01(01)/2023, दिनांक 13.02.2024 एवं शासनादेश संख्या–445/XII–3/2021 /87(07)/2019, दिनांक 19.07.2021 का अक्षरसः पालन सुनिश्चित किया जायेगा। पूर्ण रूप से विवाद रहित मोटर मार्गो की डी0पी0आर0 नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम्य विकास–03–ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज–53–बृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

3– यह आदेश वित्त विभाग (अनुभाग)–4, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय पत्र सं0– 1/331128/2025, दिनांक 16 सितम्बर, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

Digitally signed by Mayawati Dhakriyal
Date: 25-09-2025 11:43:41

भवदीया,

(मायावती ढकरियाल)
अपर सचिव।

संख्याः (1)/**XII-3**/2025/83(04)/2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by Rajeev Tiwary
Date: 25-09-2025 11:58:45

(राजीव तिवारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या– /XII–3/2025/83(04)/2023, दिनांक सितम्बर, 2025 का संलग्नक

(धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रखण्ड का नाम	प्रस्तावित लम्बाई (कि0मी0)	सर्वेक्षण एव DPR गठन हेतु अवमुक्त धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5
1	मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वि०ख० ओखलकाण्डा के ग्राम सभा कैड़ा गांव मुख्य मोटर मार्ग से स्योनाबगड़ से धेना गांव की ओर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	नैनीताल	4.00	6.600
2	विकासखण्ड काशीपुर के ग्राम बरखेड़ा पाण्डेय में मुख्य मार्ग बरखेड़ा पाण्डेय से ब्रिलियण्ट एकेडमी स्कूल तक मार्ग निर्माण। (अपग्रेडेशन कार्य)	ऊधमसिंहनगर	1.00	0.890
3	जनपद उधमसिंहनगर के वि०ख० खटीमा के अन्तर्गत ग्राम बिरिया में लिंक रोड से ललित मोहन जोशी के घर ओर ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (अपग्रेडेशन कार्य)	ऊधमसिंहनगर	0.75	0.670
4	ग्राम सभा दिया में दियॉ प्लाट से थारू पट्टी की ओर मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (अपग्रेडेशन कार्य)	ऊधमसिंहनगर	1.10	0.980
5	विधान सभा क्षेत्र सितारगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा थारूतिसौर में प्रताप के घर से बृजवाल के घर की ओर ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण। (अपग्रेडशन कार्य)	ऊधमसिंहनगर	0.97	0.860
6	विधान सभा क्षेत्र सितारगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा देवनगर में देव मण्डल के घर से प्रदीप राय के घर की ओर ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण । (अपग्रेडशन कार्य)	ऊधमसिंहनगर	0.70	0.620
7	विधान सभा क्षेत्र सितारगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा गोविन्दनगर में राजेन्द्र बोरा के घर से मनोज पाण्डे के घर की ओर ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण । (अपग्रेडशन कार्य)	ऊधमसिंहनगर	0.71	0.630
8	विकासखण्ड रूद्रपुर के विधानसभा क्षेत्र किच्छा के अन्तर्गत ग्राम शान्तिपुरी में मेन रोड से उत्तर की ओर घनश्याम पाण्डेय के घर की ओर सड़क का निर्माण। (अपग्रेडेशन)	ऊधमसिंहनगर	1.30	1.160
9	विकासखण्ड रुद्रपुर के विधानसभा क्षेत्र किच्छा के अन्तर्गत ग्राम सभा भंगा में लिंक रोड से शंकर फार्म खाद गोदाम के सामने से होते हुए एन0एच0–74 तक मोटर मार्ग का निर्माण। (अपग्रेडेशन)	ऊधमसिंहनगर	1.50	1.340
10	महावीरनगर धनपुर विजयपुर में मेन रोड से ग्राम के अन्दर ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (अपग्रेडेशन कार्य)	ऊधमसिंहनगर	0.80	0.710
11	बरीराई महतोष मार्ग से पिपलिया नं0–2 चौराहे तक ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (अपग्रेडेशन कार्य)	ऊधमसिंहनगर	0.50	0.445
12	खानपुर नं0 1 में मिहिर विश्वास के घर से ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (अपग्रेडेशन कार्य)	ऊधमसिंहनगर	0.50	0.445
13	ग्राम सभा बरीराई में दिनेशपुर मार्ग से कुन्दन नगर मार्ग निर्माण कार्य। (अपग्रेडेशन कार्य)	ऊधमसिंहनगर	0.60	0.530
14	विकासखण्ड पाटी के अन्तर्गत किमाड से गौसाला तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (अपग्रेडशन)	चम्पावत	2.50	1.500
15	ग्राम पंचायत थ्वालखेड़ा में आंगनबाड़ी के अन्दर से रामदत्त के घर तक सड़क निर्माण (अपग्रेडशन)	चम्पावत	1.00	3.400
16	जनपद चम्पावत के मंच तामली मोटर मार्ग के कि0मी0 18 से ग्राम पंचायत	चम्पावत		

	कठनोली तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण (अपग्रेडेशन)।		3.00	2.160
17	विकासखण्ड पाटी के अन्तर्गत धूनाघाट रीठासाहिब मोटर मार्ग से बुरूसखोला तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण (अपग्रेडशन)	चम्पावत	2.00	1.200
18	ग्राम पंचायत टुनकाण्डे के राजस्व के राजस्व ग्राम पठलना तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण (अपग्रेडशन)।	चम्पावत	2.00	4.100
19	विकासखण्ड पाटी के रेगल बैण्ड मूलाकोट मोटर मार्ग से अमोली तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण (अपग्रेडशन)।	चम्पावत	2.00	1.200
20	जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0ख0 पौड़ी के अन्तर्गत पौड़ी–मासौ मोटर मार्ग से ग्राम रेवड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	पौड़ी	2.30	1.380
21	जनपद रूद्रप्रयाग वि0ख0 जखोली के सूर्यप्रयाग–मूसाढुंग मोटर मार्ग के कि0मी0 03 से सिरसोलिया (कण्डाली) तक मोटर मार्ग का अपग्रेडेशन का कार्य।	रूद्रप्रयाग	1.00	0.600
22	जनपद चमोली के वि0ख0 नंदानगर के अन्तर्गत घाट–कुमजुग मोटर मार्ग से सिरासार तक सड़क निर्माण का कार्य।	चमोली	2.00	3.300
23	जनपद चमोली के वि0स0 क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत वि0ख0 पोखरी में पोखरी–गोपेश्वर मोटर मार्ग से ग्राम पाबलगा विशाल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	चमोली	2.00	3.300
24	देवीधार मंदिर से सोनला तक मोटर मार्ग के कि0मी0 02 से ग्राम पंचायत सोनला के पैलवड़ा तोक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	चमोली	2.50	4.130
25	कुहेड़–मैठाणा–पलेठी–धारकोट मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से ग्राम पंचायत धारकोट के सिमारतोक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	चमोली	2.50	4.130
26	जनपद चमोली के वि0स0 क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत वि0ख0 गैरसैंण में कर्णप्रयाग–गैरसैंण मोटर मार्ग से ग्राम डुंगरी तक एम0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	चमोली	1.50	2.480
27	जनपद चमोली के वि0स0क्षेत्र थराली के अन्तर्गत वि0ख0 थराली में थराली–डुंगरी मोटर मार्ग से ग्राम कैरा तक एम0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	चमोली	2.00	3.300
28	जनपद चमोली के वि0स0 क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत वि0ख0 पोखरी में सरमोला–रानो मोटर मार्ग से ग्राम सुगी तक एम0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	चमोली	1.50	2.480
			44.23	**54.540**

(रूपये चौवन लाख चौवन हजार मात्र)

ह0–

(राजीव तिवारी)

अनु सचिव।